"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर 2017— कार्तिक 16, शक 1939

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-47/2014/56/इसूप्रौ. — इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 5 जुलाई, 2017 में उल्लिखित नियम 3 (एक) (ब) अनुसार छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 निम्नानुसार अधिसूचित करता है -

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002

परिशिष्ट-3

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री की खरीदी

(अ) राज्य के शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री की खरीदी, भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध दर एवं विशिष्टियां (Specification) अनुसार जेम पोर्टल से सीधे अथवा ई-बिडिंग प्रक्रिया से की जाए.

(ब) ऐसी समाग्री जो जूम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है उनकी खरीदी भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 अनुसार खुली निविदा के माध्यम से किया जाए.

2. उपरोक्त परिशिष्ट 3 के प्रावधान इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पाल मेनन, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.